

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
‘छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.’’

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 73 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 फरवरी 2014 — माघ 16, शक 1935

---

स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2014

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-73/2011/20-3. — निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खण्ड (ज) एवं छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 9 एवं 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में, निम्नलिखित ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को उनके तत्संबंधी क्षेत्राधिकार के अन्दर स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (क) किसी जिला पंचायत क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, जिला पंचायत ;
- (ख) किसी जनपद पंचायत क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, जनपद पंचायत ;
- (ग) किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, ग्राम पंचायत ;
- (घ) किसी नगर निगम क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, नगर निगम ;
- (ड) किसी नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, नगर पालिका परिषद् ;
- (च) किसी नगर पंचायत क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के संबंध में, नगर पंचायत.

No. F 13-73/2011/20-3.—In exercise of the powers conferred by Clause (h) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009) and rule 9 and 10 of the Chhattisgarh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, the State Government, hereby, notifies that, Chhattisgarh State, the following rural and urban local bodies shall act as Local Authority within their jurisdiction to carry out the purposes of the said Act and Rules, namely :-

- (a) In relation to schools in the area under the administrative control of a Zila Panchayat, the Zila Panchayat ;
- (b) In relation to schools in the area under the administrative control of a Janpad Panchayat, the Janpad Panchayat ;
- (c) In relation to schools in the area under the administrative control of a Gram Panchayat, the Gram Panchayat ;
- (d) In relation to schools in the area under the administrative control of any Municipal Corporation, the Municipal Corporation ;
- (e) In relation to schools in the area under the administrative control of any Municipal Council, the Municipal Council ;
- (f) In relation to schools in the area under the administrative control of any Nagar Panchayat, the Nagar Panchayat.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्त्री. एस. डेहरे, उप-सचिव.